(6)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकाहनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 086/2019

शारदा पुत्री श्री हनुमान दास पत्नी किशनलाल जाति स्वामी आयु 39 वर्ष निवासी वार्ड 09, 1.600 आर.डी.आर., बिरदवाल हैड, श्री गंगानगर (राज0) हाल वार्ड 07, सामुदायिक केन्द्र के पीछे, सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर (राज0)

-:वादीया

बनाम्

1 हनुमानदास पुत्र गंगाबिशन जाति स्वामी निवासी वार्ड 07, थेहडी गंगानी, 19 एचएमएच, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

2 श्याम सुन्दर पुत्र हनुमानदास जाति स्वामी निवासी वार्ड 07, थेहडी गंगानी, 19 एचएमएच, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

3 हंसराज पुत्र हनुमानदास जाति स्वामी निवासी वार्ड 07, थेहडी गंगानी, 19 एचएमएच, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

4 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1 श्री योगेश झोरड़ - वादी

2 श्री तरसैम सिंह - प्रतिवादी सं. 1, 2

3 श्री गुरमीत सिंह अधिवक्ता - प्रतिवादी सं. 3

4 राजपैरोकार - प्रतिवादी सं. 4

-:निर्णयः-

दिनांक 09.12.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि यह कि वादीया एंव प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो शीर्षक वादपत्र में निवेदित किया गया है।

यह कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः-

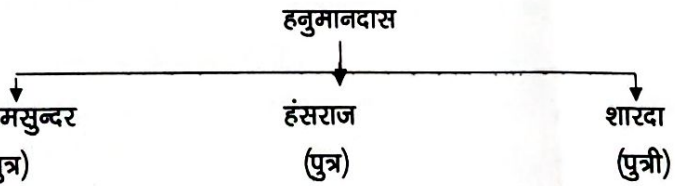

प्रतिवादी संख्या 01, वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का पिता है।

यह कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक 19 एच.एम.एच., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 136/107 के पत्थर नम्बर 125/279 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 18/1/0.192, 19/2/0.249, 20 ता 22, 23/1/0.222, पत्थर नम्बर 124/279 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 16, 25, पत्थर नम्बर 124/280, मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 4/1/0.043, 5, 6, 7/1/0.042, पत्थर नम्बर 125/280, मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1, 2, 3/1/0.185, 8/0.063, 9/0.215, 10/0.215 कुल किता 18 कुल क्षेत्रफल 3.703 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

यह कि दफा 3 में वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संयुक्त परिवार में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए वादीया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि एंव प्रतिवादीगण का घरु बंट्वारा किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 एंव वादीया के हक व हिस्सा एंव घराघरु बंट्वारा निम्न है:-

क) यह कि वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा कृषि भूमि वादीया को घरु बंट्वारा में दी हुई है, जिस पर वादीया काबिज है।

यह कि वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 1 परस्पर ही एक ही परिवार के सदस्य है एंव संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए वादीया को प्राप्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि में से वादीया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंट्वारा कर वादीया को सौप दिया है जो दफा 4 में वर्णित है। घराघरु बंट्वारा एंव वादीया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंट्वारा कर लिया गया एंव दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण सींव व रकम राज को लेकर विवाद रहता है।

यह कि वादीया इस आशय की घोषणा फरमाई जाने की अधिकारिणी है कि वाद पत्र की दफा 4 के मुताबिक घराघरु बंट्वारा एंव वादीया के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार है।

यह कि वादीया ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित घराघरु बंट्वारे एंव वादीया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि के अनुसार वादीया के नाम उक्त कृषि भूमि को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार को कृषि भूमि का भू-धारक होने के कारण वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, लेकिन उनके विरूद्व किसी प्रकार को कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इन्हे मात्र इस कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, ताकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एंव डिक्री की पालना सुनिश्चित की जा सके।

यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीया विरूद्व प्रतिवादी निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे:-

(क) कि घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की दफा 4 के मुताबिक वादीया, प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि की 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है एंव इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता तैरसेम सिंह उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 लगातार अनुपस्ति आ रहे है। बार बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता हैं तथा प्रतिवादी सं. 1, 2 का जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता गुरमीत सिंह उपस्थित व जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया जिसमें कि प्रतिवादी संख्या 3 इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि पत्थर नम्बर 124/279 (9) किला नम्बर 25, पत्थर नम्बर 124/280 (15) किला नम्बर 5, 6, पत्थर नम्बर 125/280 (16) किला नम्बर 9/.215, 10/.215 कुल क्षेत्रफल 1.189 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा इसी कदर घोषणा करवाने का अधिकारी है। जमाबंदी संवत 2048 खाता सं. 14 में दर्ज तादादी 12.737 हैक्टेयर प्रतिवादी सं. 1 के पिता गगाबिशन पुत्र गोपालदास जाति

कलक्टर खण्डाधिकारी हनुमानगढ़

बैरागी निवासी हनुमानगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है जिससे प्रश्नगत भूमि पैतृक साबित है।। जमाबंदी संवत 2064-67 खाता सं. 92/35 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 4.245 हैक्टेयर रकबा दर्ज रिकार्ड है। नामान्तकरण सं. 315/20.05.2008 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 0.518 हैक्टेयर रकबे का बेचान किया गया है व शेष 3.727 हैक्टेयर रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। जमाबंदी संवत 2076-79 चक 19 एचएमएच खाता सं. 146/136 में हनुमानदास पुत्र गंगाबिशन के नाम 3.703 हैक्टेयर रकबा शेष रहा है। जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 18.11.2020 से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रश्नगत चक 19 एचएमएच खाता सं. 146/136 में दर्ज 3.703 हैक्टेयर में से 2.514 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया गया है तथा उक्त बैयनामा के अंतिम पृष्ट पर विक्रेता हनुमानदास के हस्ताक्षर सहित प्रतिवादी सं. 2 श्यामसुंदर व वादी शारदा के सहमति के हस्ताक्षर है जिससे साबित होता है कि प्रश्नगत पैतृक भूमि कुल 4.245 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1, वादीया व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपने अपने हिस्से का बेचान कर दिया गया है जबकि बैयनामा पर प्रतिवादी सं. 3 के ना तो हस्ताक्षर है और न ही सहमति है। प्रश्नगत पैतृक आराजी 4.245 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हिस्सा निहित होना साबित हो रहा है। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा चक 19 एचएमएच खाता सं. 160/136 में दर्ज तादादी 1.189 हैक्टेयर जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है का जरिये काउंटर क्लेम घोषणा का अनुतोष याचित किया है। अतः काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 3 के 1/4 हिस्से अर्थात 1.061 हैक्टेयर की हद तक स्वीकार किया जाना उचित है।

प्रतिवदावा प्रतिवादी सं. 3 का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस प्रतिपक्ष सं. 3 ने निवेदन किया कि वाद पत्र वादी खारिज हो चुका है इसलिए प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 3 डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 3 के 1/4 हिस्से अर्थात 1.061 हैक्टेयर की हद तक स्वीकार किया जाना उचित है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 3 निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 19 एचएमएच पत्थर नम्बर 124/279 (9) किला नम्बर 25/2/.168 पत्थर नम्बर 124/280 (15) किला नम्बर 5/.232, 6/.231, पत्थर नम्बर 125/280 (16) किला नम्बर 9/.215, 10/.215 कुल क्षेत्रफल 1.061 हैक्टेयर कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 हंसराज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ